

जुलाई ३१, ०३, २०१३

संख्या—पी०एम०य०/४०१ / सेटेलाइट टाउन योजना / २०१२-१३

प्रेषक,

निदेशक / एस.एल.एन.ए,
स्थानीय निकाय, उ०प्र०,
८वां तल इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

सेवामें,

मुख्य शाखा प्रबन्धक,
रिटेल बैंकिंग ब्रान्च, पंजाब नेशनल बैंक,
विपुल खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ-२२६०१०।

दिनांक: ३१ मार्च, २०१३

विषय:- सेटेलाइट टाउन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पिलखुवा नगर की सेटेलाइट टाउन योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या: १७३०/नौ-५-२०१३-७८बजट/२०१२ दिनांक २८.०३.२०१३ के क्रम में का० आदेश सं० पी०एम०य०/३९९/से. टा.यो./१२-१३ दिनांक २९.०३.१३ तथा शासनादेश संख्या-१७८६/नौ-५-२०१३-८६बजट/१२ दिनांक २९.०३.१३ के क्रम में का० आदेश पी०एम०य०/४००/ से०टा०य०/१२-१३ दिनांक २९.०३.१३ द्वारा पिलखुवा सीवरेज परियोजना हेतु केन्द्रांश, राज्यांश व बढ़ी हुई लागत की स्वीकृत धनराशि को सेटेलाइट टाउन योजना नाम से खुले नोडल खाता संख्या-४४८३०००१०००१४३५५ से संबंधित निकाय के यूआईडीएसएसटी योजना खाता में जमा कराने का कष्ट करें। विवरण निम्न है :-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	निकाय का नाम	परियोजना का नाम	पंजाब नेशनल बैंक		अन्तरित की जाने वाली धनराशि			
			खाता संख्या	शाखा का नाम	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	पिलखुवा	सीवरेज	३७०५०००१०१०६०६९०	Pilkhua	३६४.६६	४५.५८	—	४१०.२४
२		सीवरेज	३७०५०००१०१०६०६९०		--	४७६.२५	..	४७६.२५
	योग				३६४.६६	५२१.८३	—	८८६.४९

(₹ आठ करोड़ छियासी लाख उनचास हजार मात्र)

२- उक्त धनराशि उपरोक्तानुसार अन्तरित कराते हुए, निदेशालय को सूचित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- विशेष सचिव, उ०प्र०शासन, नगर विकास अनुभाग ५, लखनऊ।
- प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- जिलाधिकारी हापुड़।
- बजट अनुभाग-८, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- टीम लीडर, पी०एम०य०, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- अधिकारी अधिकारी नगर पालिका परिषद पिलखुवा उ०प्र०, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित योजना हेतु प्रश्नगत धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।

(सुखन्द्र कुमार ३१०३२०१३)
सहायक निदेशक (लेखा)

प्रेषक,

निदेशक / एस.एल.एन.ए,
स्थानीय निकाय, उ०प्र०,
८वां तल इन्डिरा भवन,
लखनऊ।

सेवामें,

मुख्य शाखा प्रबन्धक,
रिटेल बैंकिंग ब्रान्च, पंजाब नेशनल बैंक,
विपुल खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ-226010।

दिनांक: ३१ मार्च, 2013

विषय:-सेटेलाइट टाउन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पिलखुवा नगर की सेटेलाइट टाउन योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या: 1161/नौ-५-२०१३-८८बजट/१२ दिनांक ०८.०३.१३ के क्रम में का० आदेश सं० पी०ए०य०/३५४/से.टा.यो. /१२-१३ दिनांक १८.०३.१३ तथा शासनादेश संख्या: 1457/नौ-९-२०१२-२४३आरएफ/१०टीसी दिनांक २६.१२.१२ के क्रम में का० आदेश सं० पी०ए०य०/३५९/से.टा.यो. /१२-१३ दिनांक १९.०३.१३ द्वारा परियोजनाओं हेतु राज्यांश व निकाय अंश की स्वीकृत धनराशि को सेटेलाइट टाउन योजना नाम से खुले नोडल खाता संख्या-4483000100014355 से संबंधित निकाय के यूआईडीएसएसटी योजना खाता में जमा कराने का कष्ट करें। विवरण निम्न है :-

(धनराशि लाख रु० में)

क्र. सं.	निकाय का नाम	परियोजना का नाम	पंजाब नेशनल बैंक		अन्तरित की जाने वाली धनराशि			
			खाता संख्या	शाखा बंग नाम	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पिलखुवा	पेयजल	3705000101053876	Pilkhua	..	51.33	..	51.33
2		सालिड वेस्ट मैनेजमेंट	3705000101066339		..		22.44	22.44
	योग					51.33	22.44	73.77

(₹ तिहात्र लाख सतहत्तर हजार मात्र)

2- उक्त धनराशि उपरोक्तानुसार अन्तरित कराते हुए, निदेशालय को सूचित कराने का कष्ट करें।


भवदीय,



(नरेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- विशेष सचिव, उ०प्र०शासन, नगर विकास अनुभाग ५/९, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ / निदेशक, सी एण्ड डी एस, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 3- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 4- जिलाधिकारी हापुड़।
- 5- बजट अनुभाग-८, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- टीम लीडर, पी०ए०य०, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पिलखुवा उ०प्र०, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित योजना हेतु प्रश्नगत धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।



(सुखेन्द्र कुमार) ३१/३/१३
सहायक निदेशक (लेखा)



३१/३/१३ १०८

जुलाई 07-01-2013

संख्या—पी०एम०य०/२५ / सेटेलाइट टाउन योजना / 2012-13

प्रेषक,

निदेशक / एस.एल.एन.ए.
स्थानीय निकाय, उ०प्र०,
८वां तल इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

सेवामें,

मुख्य शाखा प्रबन्धक,
सेटेल बैंकिंग ब्रान्च, पंजाब नेशनल बैंक,
विपुल खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ—226010।

दिनांक: ०७ जनवरी, 2013

विषय:—सेटेलाइट टाउन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पिलखुआ नगर की सेटेलाइट टाउन योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या: 1457 / नौ—९—२०१२—२६४आरएफ / १०टीसी दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 के क्रम में कार्यालय—आदेश पी०एम०य०/१६७१ / सेटेलाइट टाउन योजना / २०१२—१३ दिनांक 27.12.12 द्वारा स्वीकृत धनराशि ₹ 138.79 लाख को सेटेलाइट टाउन योजना नाम से खुले नोडल खाता संख्या—4483000100014355 से संबंधित निकाय के यूआईडीएसएसटी योजना खाता में जमा कराने का कष्ट करें। विवरण निम्न हैः—

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	पंजाब नेशनल बैंक		अन्तरित की जाने वाली धनराशि			
			खाता संख्या	शाखा का नाम	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पिलखुआ (गाजियाबाद)	सीवरेज (जॉन-१)	3705000101060690	Pilkhua	-	-	138.79	138.79

(₹ एक करोड़ अष्टीस लाख उन्यासी हजार मात्र)

2— उक्त धनराशि उपरोक्तानुसार अन्तरित कराते हुए, निदेशालय को सूचित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय दीप सिंह)
निदेशक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग—९, लखनऊ।
- प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- टीम लीडर, पी०एम०य०, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पिलखुआ उ०प्र०, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित योजना हेतु प्रश्नगत धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
- जिलाधिकारी गाजियाबाद।
- बजट अनुभाग—८, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

3/01/2013
(सुखेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (लेखा) ०८

ज्ञारी
०९/१०/२०१२

संख्या—पी०एम०य०/१३ ६.३/ सेटेलाइट टाउन योजना / २०१२-१३

प्रेषक,

निदेशक / एस.एल.एन.ए.
स्थानीय निकाय, उ०प्र०,
८वां तल इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

सेवामें,

मुख्य शाखा प्रबन्धक,
रिटेल बैंकिंग ब्रांच, पंजाब नेशनल बैंक,
विपुल खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ-२२६०१०।

दिनांक: ०९ अक्टूबर, २०१२

विषय:- सेटेलाइट टाउन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पिलखुवा नगर की सेटेलाइट टाउन योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 3451/नौ-५-२०१२-७८बजट/२०१२ दिनांक 21 सितम्बर, २०१२ द्वारा स्वीकृत धनराशि ₹ 349.38 लाख को सेटेलाइट टाउन योजना नाम से खुले नोडल खाता संख्या-4483000100014355 से संबंधित निकाय के यूआईडीएसएसटी योजना खाता में जमा कराने वा कष्ट करें। विवरण निम्न है :-

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	पंजाब नेशनल बैंक		अन्तरित की जाने वाली धनराशि			
			खाता संख्या	शाखा का नाम	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पिलखुवा (गाजियाबाद)	पेयजल	3705000101053876	Pilkhua	310.56	38.82	..	349.38

(₹ रुपये करोड उन्चास लाख अड़तीस हजार मात्र)

2- उक्त धनराशि उपरोक्तानुसार अन्तरित कराते हुए, निदेशालय को सूचित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

दीप सिंह
(अजय दीप सिंह)
निदेशक। ०९

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-५, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 3- टीम लीडर, पी०एम०य०, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पिलखुवा उ०प्र०, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित योजना हेतु प्रश्नगत धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
- 5- जिलाधिकारी गाजियाबाद।
- 6- बजट अनुभाग-८, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

सुखेन्द्र कुमार
(सुखेन्द्र कुमार)
सहायक लेखाधिकारी ०९

*०९/१०/१२
१०८*

पा ची
२४।०९।१२

संख्या—पी०एम०य०/१३२३ / सेटेलाइट टाउन योजना / 2012-13

प्रेषक,

निदेशक / एस.एल.एन.ए,
स्थानीय निकाय, उ०प्र०,
८वां तल इन्दिरा भवन,
लखनऊ ।

सेवामें,

मुख्य शाखा प्रबन्धक,
रिटेल बैंकिंग ब्रान्च, पंजाब नेशनल बैंक,
विपुल खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ—226010 ।

विषय: सेटेलाइट टाउन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पिलखुवा नगर की सेटेलाइट टाउन योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 1002/ नौ—९—२०१२—२६४आरएफ/१० दिनांक 18 रितम्बर, 2012 द्वारा स्वीकृत धनराशि ₹ 51.42 लाख को सेटेलाइट टाउन योजना नाम से खुले नोडल खाता संख्या—4483000100014355 से संबंधित निकाय के यूआईडीएसएसटी योजना खाता में जमा कराने का कष्ट करें। विवरण निम्न है :-

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	पंजाब नेशनल बैंक		अन्तरित की जाने वाली धनराशि				(धनराशि लाख रु० में)
			खाता संख्या	शाखा का नाम	वंचांश	राज्यांश	निकाय अंश	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	पिलखुवा (गाजियाबाद)	पेयजल पुनर्गठन	3705000101053876	Pilkhua	--	--	51.42	51.42	(₹ इक्यावन लाख बयालिस हजार मात्र)

- 2— उक्त धनराशि उपरोक्तानुसार अन्तरित कराते हुए, निदेशालय को सूचित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय दीप सिंह)
(अजय दीप सिंह)
निदेशक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग—९, लखनऊ ।
- प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ ।
- टीम लीडर, पी०एम०य०, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ ।
- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पिलखुवा उ०प्र०, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित योजना हेतु प्रश्नगत धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
- जिलाधिकारी गाजियाबाद ।
- बजट अनुभाग—८, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ ।
- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।

प्र०
२४।०९।१२

(सुखेन्द्र कुमार)
सहायक लेखाधिकारी

७८

प्रेषक,

निदेशक / एस.एल.एन.ए.
स्थानीय निकाय, उ०प्र०,
८वां तल इन्दिरा भवन,
लखनऊ ।

सेवामें,

मुख्य शाखा प्रबन्धक,
रिटेल बैंकिंग ब्रान्च, पंजाब नेशनल बैंक,
विपुल खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ—226010 ।

दिनांक: १६ अगस्त, 2012

विषय: सेटेलाइट टाउन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पिलखुवा नगर की सेटेलाइट टाउन योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 290 जीआई/नौ—५—१२—७८बजट/2012 दिनांक 31 जुलाई 2012 द्वारा स्वीकृत धनराशि ₹ 419.95 लाख को सेटेलाइट टाउन योजना नाम से खुले नोडल खाता संख्या—4483000100014355 से संबंधित निकाय के यूआईडीएसएसटी योजना खाता में जमा कराने का कष्ट करें। विवरण निम्न है :-

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	पंजाब नेशनल बैंक		अन्तरित की जाने वाली धनराशि			
			खाता संख्या	शाखा का नाम	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	पिलखुवा (गाजियाबाद)	सीवरेज (जोन-१)	3705000101060690	Pilkhuwa	372.84	46.61	..	419.45

(३ चार करोड़ उन्नीस लाख पैसालिस हजार मात्र)

2— उक्त धनराशि उपरोक्तानुसार अन्तरित कराते हुए, निदेशालय को सूचित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

/
(कुरेखा गुप्ता)
निदेशक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग—५, लखनऊ ।
- 2— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ ।
- 3— टीम लीडर, पी०एम०य०, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ ।
- 4— अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पिलखुवा उ०प्र०, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित योजना हेतु प्रश्नगत धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
- 5— जिलाधिकारी गाजियाबाद ।
- 6— बजट अनुभाग—८, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ ।
- 7— आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।

(एस०डी०मौर्य)
वित्त नियंत्रक।

प्रेषक,

निदेशक / एस.एल.एन.ए.
स्थानीय निकाय, उ०प्र०,
८वां तल इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

सेवामें,

मुख्य शाखा प्रबन्धक,
रिटेल बैंकिंग ब्रान्च, पंजाब नेशनल बैंक,
विपुल खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ-226010।

दिनांक: ५ अप्रैल, 2012

विषय: सेटेलाइट टाउन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पिलखुवा नगर की सेटेलाइट टाउन योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 770 / नौ-7-12-37 बजट / 10 , 769 / नौ-7-12-37 बजट / 10 दिनांक 29 मार्च 2012 द्वारा स्वीकृति धनराशि कमशः ₹ 113.39 लाख व ₹ 829.68 लाख, सेटेलाइट टाउन योजना नाम से खुले नोडल खाता संख्या-4483000100014355 से संबंधित निकाय के द्वारा आईएसएसटी योजना खाता में जमा कराने का कष्ट करें। विवरण निम्न है :-

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	पंजाब नेशनल बैंक		अन्तरित की जाने वाली धनराशि			
			खाता संख्या	शाखा का नाम	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पिलखुवा (गाजियाबाद)	पेयजल पुनर्गठन	3705000101053876	Pilkhua	100.79	12.60	--	113.39
2		सीवरेज (जोन-1)	3705000101060690	Pilkhua	737.50	92.18	..	829.68
	योग				838.29	104.78		943.07

(₹ नौ करोड़ तिरालिस लाख सात हजार मात्र)

2— उक्त धनराशि उपरोक्तानुसार अन्तरित कराते हुए, निदेशान्त्रय को सूचित कराने का कष्ट करें।

RHE/MIS
कुमार
19/4/11

भवदीया,

(कुमार गुप्ता)
निदेशक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-7, लखनऊ।
- 2— प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 3— टीम लीडर, पी०एम०य० स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 4— अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पिलखुवा उ०प्र०, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित योजना हेतु प्रश्नगत धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
- 5— जिलाधिकारी गाजियाबाद।
- 6— बजट अनुभाग-8, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 7— आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

(सुखन्द्र कुमार)
सहायक लेखाधिकारी।

प्रेषक,

निदेशक / एस.एल.एन.ए,
स्थानीय निकाय, उ०प्र०,
८वां तल इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

सेवामें,

मुख्य शाखा प्रबन्धक,
रिटेल बैंकिंग ब्रान्च, पंजाब नेशनल बैंक,
विपुल खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ-226010।

दिनांक: ५० अप्रैल, 2012

विषय: सेटेलाइट टाउन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पिलखुवा नगर की सॉलिड वेर्स्ट मैनेजमेंट परियोजना हेतु सेटेलाइट टाउन योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 772/नौ-7-12-37 बजट/10 दिनांक 30 मार्च 2012 द्वारा स्वीकृत धनराशि, सेटेलाइट टाउन योजना नाम से खुले नोडल खाता संख्या-4483000100014355 से संबंधित निकाय के यूआईडीएसएसटी योजना खाता में जमा कराने का कष्ट करें। विवरण निम्न है :-

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	पंजाब नेशनल बैंक		अन्तरित की जाने वाली धनराशि			
			खाता संख्या	शाखा का नाम	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पिलखुवा (गाजियाबाद)	सॉलिड वेर्स्ट मैनेजमेंट	3705000101066339	Pilkhua	179.54	22.44	--	201.98

(₹ दो करोड़ एक लाख अठानवे हजार मात्र)

2- उक्त धनराशि उपरोक्तानुसार अन्तरित कराते हुए, निदेशालय को सूचित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

✓
(कुरेखा गुप्ता)
निदेशक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-7, लखनऊ।
- प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- टीम लीडर, पी०एम०य०, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- अध्यक्ष/अधिकारी अधिकारी नगर पालिका परिषद पिलखुवा उ०प्र०, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित योजना खाते की औपचारिकताओं को पूरा करते हुए प्रश्नगत धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
- जिलाधिकारी गाजियाबाद।
- बजट अनुभाग-8, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

✓
(सुखेन्द्र कुमार)
सहायक लेखाधिकारी